न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार बलाई (R.A.S)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
104/25	04/07/25	04/07/25

//उनवान//

1. राजेश पत्नि उदयवीर जाति जाट, निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।
2. प्रिया पुत्री उदयवीर जाति जाट, निवासी सरायकलां तहसील मुण्डावर, खैरथल–तिजारा

:– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल–तिजारा।

:– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 04/07/2025

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल खाता संख्या 276 में वर्णित हाल आराजी खसरा न0 233 रकबा 0.20है0, 780 रकबा 0.08है0, 781 रकबा 0.70 है0, 782 रकबा 0.45है0, 1004 रकबा 0.18है0, 1005 रकबा 0.18है0, 1019 रकबा 0.01है0, 1020 रकबा 0.34है0, 1032 रकबा 0.16है0 वाके ग्राम सरायकलां जिसके साबिक खसरा नंबर क्रमशः निम्न प्रकार है 201/1038, 708, 709, 710, 908, 909, 923मि0, 935 ग्राम सरायकलां तहसील मुण्डावर में स्थित है जो आराजी इस प्रार्थना–पत्र में में विवादित कहलाएगी। यह है कि उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक आराजी रही है, जो इन्तकाल संख्या 415 दिनांक 21.06.2004 से मिन प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। यह है कि मिन प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात में उदयवीर दर्ज रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मिन प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम उम्मेद का गलत अंकन दर्ज कर दिया गया जो काबिल दुरूस्त है। यह है कि मिन प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम इंतकाल संख्या 415 में उम्मेद दर्ज रहा है, जो काबिल दुरूस्त है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नंबर 233, 780, 781, 782, 1004, 1005, 1019, 1020, 1032 वाके ग्राम सरायकलां में मिन प्रार्थीगण के पिता, पति का उम्मेद को हजफ कर उसके स्थान पर राजेश पत्नि उदयवीर एवं प्रिया पुत्री उदयवीर दर्ज करने के आदेश पारित करने बाबत निवेदन रहा है।

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट मय दस्तावेज एवं मय अभिषंशा संलग्न पत्रावली है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/3592 दिनांक 26.05.2025 के द्वारा प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 233, 780, 781, 782, 1004, 1005, 1019, 1020, 1032 में प्रार्थीगण का नाम राजेश पत्नि उम्मेद व प्रिया पुत्री

अधिकारी

उम्मेद दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को जरिये विरासत नामा0 संख्या 415 के द्वारा विरासत से प्राप्त हुई है। अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड, प्रिया की माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, उदयवीर के मृत्यु प्रमाण–पत्र में प्रार्थीगण के पति, पिता का नाम उदयवीर दर्ज है। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम उदयवीर उर्फ उम्मेद उर्फ उदा तीनों एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति, पिता का नाम उदयवीर दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

प्रार्थना–पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी खसरा नंबर 233, 780, 781, 782, 1004, 1005, 1019, 1020, 1032 वाके ग्राम सरायकलां में दर्ज प्रार्थीगण का नाम राजेश पत्नि उम्मेद, प्रिया पुत्री उम्मेद के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम **"राजेश पत्नि उदयवीर एवं प्रिया पुत्री उदयवीर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"** जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **04.07.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner